

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नरेन्द्र सिंह बनाम आनन्द कौर वगै०

किस्म मुकदमा-इजराय

मुकदमा नम्बर-20 / 2025

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर

नम्बर १० नॉर्मेस
अहकाम की
इस हुक्म की
तारीख में जारी
हुए

11-08-2025

वकील डिकीदार श्री कमल कुमार शर्मा एड० ने उपरिथत होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2025 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी की जावे। पत्रावली वास्तं प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 11.09.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

16.09.2025

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपरिथत। प्रकरण में सम्बन्धित पटवारी हल्का हांसपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 2389 दिनांक 20.08.2025 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फौसल किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकनील दाखिल दपतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

ऑनलाईन
राजस्व रिकार्ड
का अपलोडिंग
डिग्राग्रा।
नामांक 2389
दि. 20/08/2025
द्वारा अमल
दरामद किया
गया।

पत्रावली
16/09/2025

